

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए खर्चों के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रभारित किया जाना अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	34,637.49	2,876.37	37,513.86	33,149.21	(-) 4,364.65
	II पूंजीगत	10,264.81	1,915.42	12,180.23	10,709.07	(-) 1,471.16
	III ऋण एवं अग्रिम	874.09	14.09	888.18	521.99	(-) 366.19
कुल दत्तमत		45,776.39	4,805.88	50,582.27	44,380.27	(-) 6,202.00
भारित	IV राजस्व	5,538.87	45.15	5,584.02	5,056.62	(-) 527.40
	V पूंजीगत	58.50	36.79	95.29	92.89	(-) 2.40
	VI लोक ऋण - पुनर्भुगतान	9,221.08	1,327.74	10,548.82	6,298.14	(-) 4,250.68
कुल भारित		14,818.45	1,409.68	16,228.13	11,447.65	(-) 4,780.48
आकस्मिक निधि से विनियोजन		--	--	--	--	--
कुल योग		60,594.84	6,215.56	66,810.40	55,827.92	(-) 10,982.48

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 13 4.11 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 5,040.11 करोड़) के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 6,215.56 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों ने गत वर्ष में आठ प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 10 प्रतिशत संघटित किया।

₹ 10,982.48 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 43 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 18 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगियां) में ₹ 11,410.58 करोड़ की बचतों की परिणाम थी जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदान और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदानों में ₹ 428.10 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी। ₹ 428.10 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को, महत्वपूर्ण अंतरों के कारणों का स्पष्टीकरण देने का उनको अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2013) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2013)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 45 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 11,352.06 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, 20 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित, 23 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक ₹ 10,904.22 करोड़ (96 प्रतिशत) हुईं जैसा कि तालिका 2.2 में सूचित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपुरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
राजस्व - वोटिड							
1.	4 - राजस्व	822.72	100.36	923.08	564.09	358.99	382.23
2.	7 - योजना एवं सांख्यिकी	387.50	4.98	392.48	121.88	270.60	270.33
3.	8 - भवन एवं सड़कें	1,148.48	-	1,148.48	1,078.07	70.41	154.44
4.	9 - शिक्षा	8,177.35	5.00	8,182.35	6,590.70	1591.65	1575.61
5.	10 - तकनीकी शिक्षा	307.55	49.60	357.15	288.93	68.22	68.17
6.	13 - स्वास्थ्य	1,648.80	201.17	1,849.97	1596.70	253.27	254.71
7.	15 - स्थानीय शासन	1,251.27	504.19	1,755.46	1375.70	379.76	351.92
8.	20 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,727.05	20.42	1,747.47	1,681.37	66.10	66.14
9.	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	206.98	-	206.98	99.15	107.83	107.83
10.	24 - सिंचाई	1,406.77	-	1,406.77	1,031.22	375.55	99.00
11.	27 - कृषि	894.53	9.61	904.15	719.60	184.55	190.78
12.	28 - पशुपालन एवं डेरी विकास	465.36	-	465.36	406.54	58.82	62.00
13.	32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1,461.09	78.75	1,539.83	1,380.01	159.83	142.79
14.	34 - परिवहन	1,422.98	-	1,422.98	1,315.03	107.95	105.39
15.	42 - न्याय प्रशासन	307.74	43.92	351.66	270.76	80.90	78.18
राजस्व - चार्जिड							
16.	6 - वित्त	5,477.36	0.00	5,477.36	4,960.69	516.67	176.10
पूजीगत - वोटिड							
17.	8 - भवन एवं सड़कें	1,540.14	287.14	1,827.28	1,600.78	226.50	229.53
18.	14 - शहरी विकास	420.00	-	420.00	329.86	90.14	71.30
19.	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	5,410.70	1,444.71	6,855.41	6,572.21	283.20	283.37
20.	38 - जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,156.10	-	1,156.10	831.70	324.40	307.29
21.	40 - ऊर्जा एवं विद्युत	910.63	-	910.63	198.62	712.01	712.01
22.	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	874.09	14.09	888.18	521.99	366.19	363.88
पूजीगत - चार्जिड							
23.	लोक ऋण	9,221.08	1,327.74	10,548.82	6,298.14	4,250.68	4,110.29
कुल		46,646.27	4,091.67	58,737.94	39,833.74	10,904.22	10,163.29

अनुदान में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें नीचे चर्चित की गई हैं:

i. अनुदान संख्या "9 - शिक्षा" (राजस्व - वोटिड)

अनुदान के अंतर्गत बचतें ₹ 1,591.65 करोड़ थी। बचतें मुख्यतः "2202 - सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, 02 - माध्यमिक शिक्षा नीचे उपशीर्ष 109 - सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 99 - अन्य स्थापनाओं सहित टीचिंग स्टाफ (₹ 639.44 करोड़), 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कंपोनेंट प्लान, 97 - I से VIII कक्षाओं में सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक स्टाइपेंड, 98 - कक्षा I से V अनुसूचित जाति के लिए कौशल अवार्ड स्कीम, 99 - कक्षा VI में एस.सी. ब्याज विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल की प्रदानगी (₹ 282.85 करोड़) पात्र लाभग्राहियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

ii. अनुदान संख्या "6 - वित्त" (राजस्व - चार्जिड)

अनुदान के अंतर्गत ₹ 516.67 करोड़ की कुल बचतें थी। शीर्ष 2049 - ब्याज भुगतान, 01 - आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200 - अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज, 92 - एन.सी.आर.पी.बी. से

ऋणों पर ब्याज (₹ 292.13 करोड़) के अंतर्गत समग्र प्रावधान का उपयोग न करने के कारण बचतें हुई।

iii. अनुदान संख्या “40-ऊर्जा एवं विद्युत” (पूँजीगत-वोटिड)

₹ 910.63 करोड़ के मूल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 712.01 करोड़ की भारी बचतें थी। समग्र बचतें मुख्यतः शीर्ष 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 05-ट्रान्समिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, के अंतर्गत सामान्य परियोजनाओं के लिए गैस तथा कोयला लिकिंग जारी न करने के कारण थी।

iv. लोक ऋण

इन अनुदान के तहत ₹ 4,250.68 करोड़ की बचतों के विरुद्ध, ₹ 4,110.29 करोड़ अनुचित रूप से सरंजर किए गए थे। बचतें मुख्यतः शीर्ष “6003-राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, 107-भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण (₹ 2,402.74 करोड़) भारतीय खाद्य निगम से अनाजों के कम उठानों के कारण तथा 110-भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,653.23 करोड़) के अन्तर्गत आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम कम प्राप्त करने के कारण थी।

2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान चार अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व (वोटिड)						
1.	04- राजस्व	41 (157.52)	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)
2.	08- भवन एवं सड़कें	11 (86.18)	12 (111.52)	24 (249.50)	28 (300.75)	06 (70.41)
3.	24- सिंचाई	10 (417.11)	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)
पूँजीगत (वोटिड)						
4.	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	29 (137.36)	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)
पूँजीगत (चार्जिड)						
5.	लोक ऋण	46 (1,097.31)	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)

अनुदान संख्या-4 राजस्व के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष “2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-आपदा राहत निधि, 101-आपदा राहत निधि आरक्षण निधियों एवं डिपाजिट अकाउंट को हस्तांतरण, 99-राज्य अंशदान (₹ 161.72 करोड़) के अंतर्गत स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से पिछले वर्ष बैलेंस की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-भवन एवं सड़कें के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 3054-सड़क एवं पुल, 03-राज्य राजमार्ग, 337-सड़क निर्माण कार्य (₹ 62.42 करोड़) के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार राज्य में खदानों को बंद करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 24-सिंचाई के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष “2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन (₹ 324.89 करोड़) के अंतर्गत पदों को रिक्त रखने, किफायती उपायों, न्यायालय मामलों में कमी इत्यादि के कारण हुई।

अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बचतें शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण, 205-ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 98-हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण (₹ 362.51 करोड़) के अंतर्गत किफायती उपायों के कारण हुई।

2.3.3 अधिक व्यय

अनुदान संख्या “24-सिंचाई” में (तालिका 2.4) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.4: 2008-13 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूजीगत-वोटिड						
1.	24-सिंचाई	12 (171.01)	12 (177.25)	39 (198.58)	45 (254.64)	53 (275.23)

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष “4701-बृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत ” पुराने/विद्यमान चैनलों के सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी इंजीनियर, 89-विशेष राजस्व, 92-सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 93-चीफ इंजीनियर, 88-पेंशनरी प्रभारों” (₹ 227.16 करोड़) के अंतर्गत हुए।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि परिशिष्ट 2.2 दिए गए ब्यौरे अनुसार 18 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी रीएप्रोप्रियेशन आदेशों के बिना ₹ 443.64 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.5 गत वर्षों से संबंधित प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य रेगुलराइज करवाये जाएं यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय को रेगुलराइज करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय रेगुलराइज

किया जाता है। फिर भी, 2011-12 हेतु ₹ 263.45 करोड़ की राशि का अधिक व्यय पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा अभी भी रेगुलराइज किया जाना शेष था।

2.3.6 2012-13 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसका विनियमन अपेक्षित है

2012-13 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकारों से अधिक ₹ 428.10 करोड़ की राशि के तीन ग्रांट्स/एप्रोप्रियेशन में कुल आधिक्य जिसे सविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत रेगुलराइज किए जाने की जरूरत है का सार तालिका 2.5 में शामिल है।

तालिका 2.5: 2012-13 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसे रेगुलराइज किए जाने की जरूरत है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और शीर्षक	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
राजस्व (वोटिड)				
1.	6- वित्त	3,551.82	3,678.35	126.53
2.	38- जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,086.54	1,099.48	12.94
	उप-योग	4,638.36	4,777.83	139.47
पूजीगत (वोटिड)				
3.	21-महिला एवं बाल विकास	53.82	57.99	4.17
4.	24-सिंचाई	522.71	797.94	275.23
	उप-योग	576.53	855.93	279.40
पूजीगत (चार्जिड)				
5.	24-सिंचाई	80.29	89.52	9.23
	उप-योग	80.29	89.52	9.23
	कुल योग	5,295.18	5,723.28	428.10

अगस्त 2013 में सरकार से अधिक व्यय के कारण मांगे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2013)।

2.3.7 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

21 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 1,947.34 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे ज्यादा अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है। पांच मामलों में कुल ₹ 185.55 करोड़ के पूरक प्रावधान ₹ 428.10 करोड़ के कुल अधिक व्यय को अनकवर्ड छोड़ते हुए प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए (परिशिष्ट 2.4)।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक रीएप्रोप्रियेशन

रीएप्रोप्रियेशन, एप्रोप्रियेशन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के विचार से अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 39 उप-शीर्षों में ₹ 632.41 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 51 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,450.61 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं। 47-उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी जैसाकि

परिशिष्ट 2.5 में वर्णित हैं। 12¹ मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, 5² मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

2.3.9 वास्तविक बचतों से अधिक का सरंजर

नौ मामलों में, सरंजर की गई राशियां (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या ज्यादा) वास्तविक बचतों से ज्यादा थी, जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्तता इंगित करता है। ₹ 1,156.83 करोड़ की बचतों के विरुद्ध, अभ्यर्पित राशि ₹ 1,289.25 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 132.42 करोड़ का अधिक सरंजर हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है। आगे, चार मामलों में किया गया व्यय कुल अनुदानों/विनियोजनों (₹ 423.94 करोड़) से अधिक था लेकिन फिर भी निधियां (₹ 46.57 करोड़) अनुचित रूप से सरंजर की गईं।

2.3.10 सरंजर न की गई अनुमानित बचतें

पंजाब बजट मैनुअल के अनुच्छेद 13.2 के अनुसार जो हरियाणा पर भी लागू है, खर्च करने वाले विभागों द्वारा जब भी बचतें अनुमानित हो, ग्रांट्स/विनियोजन या उसका भाग वित्त विभाग को सरंजर किया जाना अपेक्षित हैं। वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर 15 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 16 मामलों में ₹ 8,365.67 करोड़ की कुल बचतों में से (₹ एक करोड़ व उससे ऊपर की बचतें प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में सूचित की गई थी) ₹ 870.99 करोड़ की कुल राशियां (कुल बचतों का 10 प्रतिशत) सरंजर नहीं की गईं, जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 41 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का सरंजर) में मार्च 2013 के अंतिम दो दिनों में ₹ 10,635.16 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) सरंजर किए गए जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा अन्य विकास प्रयोजनों के लिए इन निधियों की अनुपयोगिता इंगित करता है।

2.3.11 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे साल समान रूप से होने चाहिए और अंतिम महीने में व्यय के वेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 17 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से ज्यादा मार्च 2013 में या वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2012-13 के दौरान 12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 8,215.84 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,537.30 करोड़ (43 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2013 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

1 **परिशिष्ट 2.5** की क्र.सं. 2, 14, 33, 34, 50, 52, 53, 54, 62, 77, 81 तथा 86

2 **परिशिष्ट 2.5** की क्र.सं. 3, 7, 55, 58 तथा 84

2.4 ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {प्र.म.ले. (ले. व हक.)} द्वारा 2012-13 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 नए सब-डिटेल तथा आबजेक्टिव हैडस का खोलना

भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ तथा राज्यों के लेखाओं का संकलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उनके द्वारा उन फार्मों का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है जिनमें लेखे रखे जाने हैं। अतः उन लेखा शीर्षों, जिनके अंतर्गत लेखे तैयार किए जाने हैं, का निर्धारण सी.ए.जी. द्वारा किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारें अपनी मर्जी से नए लेखा शीर्ष/उप-शीर्ष खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। सी.ए.जी. ने, सब-हैडस तथा नीचे खोलने के लिए प्र.म.ले. (ले. व हक.) से अनिवार्य रूप से सलाह प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी थी (जून 2000)।

राज्य सरकार के वर्ष 2012-13 के बजट दस्तावेजों की जांच ने प्रकट किया कि राज्य सरकार ने प्र.म.ले. (ले. व हक.) की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना लेखांकन शीर्ष तथा उप-शीर्ष खोले। प्र.म.ले. (ले. व हक.) की सहमति के बिना खोले गए उप-शीर्षों के विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिए गए हैं।

2.4.2 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि ट्रेजरी आफिसरज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। **परिशिष्ट 2.11** के अनुसार ₹ 23.70 करोड़ के 939 वाउचर मिसिंग पाए गए। प्र.म.ले. (ले. व हक.) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्राचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी भी विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

2.4.3 उचत में रहे बकाया दावे

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/उपदान के कारण भुगतान आदेश **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए खजाना कार्यालयों में एक वर्ष से अधिक समय से बकाया पड़े थे। खजाना अधिकारियों द्वारा उनके पुनःवैधीकरण अथवा उनके भुगतान न करने के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे।

2.4.4 ट्रेजरीज द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 99 मामलों में विभिन्न ट्रेजरीज से लेखे (33 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 66 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) चार से पंद्रह दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। विशेषतया अंबाला ट्रेजरी के लेखे प्रत्येक माह चार से पन्द्रह दिनों की देरी से प्राप्त हुए थे। यद्यपि मात्र 81 प्रतिशत लेखे विभिन्न ट्रेजरीज से समय पर प्राप्त हुए थे। मामला प्रत्येक माह

सरकार के ध्यान में लाया गया था किंतु विलंब होना जारी रहा। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब तथा बाधा हुई। लेखाओं की पहली और दूसरी सूची के प्रस्तुतीकरण में तीन दिन से अधिक के विलंब दर्शाने वाली सूची **परिशिष्ट 2.13 तथा 2.14** में दी गई है। इस कार्यालय को आरंभिक लेखे के समयपूर्व प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी आफिसर्स को निदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.5 प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 13.5 के अनुसार प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम तैयार किए जाने चाहिए तथा लेखा संहिता खंड-II के अनुच्छेद 110 तथा 111 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम खजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, परिणामतः ब्राड शीट्स में बकाया शेष है। इस संबंध में ट्रेजरी आफिसर्स को सरकारी से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.6 नॉन ऑपेशनल पर्सनल लेजर अकाऊंट्स

जमा खातों की जांच करते समय यह देखा गया कि अनेक खाते गत तीन वर्षों से ऑपरेट नहीं किए गए हैं। यह भी देखा गया कि उनमें दर्शाए गए शेषों को न तो सरकारी खाते में बट्टे खाते में डाला गया था और न ही पर्सनल लेजर अकाऊंट्स (पी.एल.एज.) को वर्गीकरण करने के लिए संबंधित विभाग के साथ अनुसरण करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की गई थी। ऐसे कुछ उदाहरण **परिशिष्ट 2.16** में दिए गए हैं।

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पी.एल.एज. को समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज. यदि आवश्यक हो सामान्य ढंग से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी ट्रेजरी आफिसर को सरकत अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 233.95 करोड़ के शेष के साथ 245 पी.एल.एज. थे।

अधिकतर मामलों में ट्रेजरी आफिसर ने प्राप्ति अनुसूचियों तथा भुगतान वाउचरों में सही लघु शीर्ष उल्लिखित नहीं करते। राशि केवल “पर्सनल लेजर अकाऊंट” के रूप में दर्शाई गई थी, परिणामतः राशि गलत लघु शीर्ष में दर्ज की गई जिसके कारण मासिक अंतर हुआ।

2.5 बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम

वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान 2010-11 के वास्तविक पूर्व आंकड़े तथा सितंबर 2011 तक आधार वर्ष 2011-12 की प्राप्ति/व्यय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। प्रोजेक्टिड प्राप्ति एवं व्यय तथा उनके विरुद्ध वास्तविकों के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए हैं।

2.5.1 बजटीय धारणाओं में कमियां

बजट अनुमानों (ब.अ.) तथा संशोधित अनुमानों (सं.अ.) को तैयार करने में प्रक्रिया तथा पारदर्शिता की जांच करने हेतु वित्त विभाग में वर्ष 2012-13 हेतु ब.अ. को तैयार करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय हेतु बनाई गई बजटीय धारणाओं तथा उसके विरुद्ध वास्तविकों का विश्लेषण किया गया (जुलाई-अगस्त 2012)। तालिका 2.6 में वर्णित मामलों में बजटीय धारणाएं वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थी।

तालिका 2.6: अवास्तविक बजटीय धारणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान / ब.अ. 2012-13	वास्तविक	टिप्पणियां
राजस्व प्राप्तियां				
1	गैर योजनागत राजस्व प्राप्तियां	33,879.80	32,145.90	2011-12 के ब.अ. (₹ 28,914.12 करोड़) पर, वर्ष 2012-13 के लिए, 12.80 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध, 17.17 प्रतिशत की वृद्धि करके ब.अ. तैयार किए गए। 2011-12 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 29,049.16 करोड़) पर बढ़ोतरी केवल 10.66 प्रतिशत थी।
2	राज्य कर राजस्व	23,873.28	23,559.00	ब.अ. 2012-13 में ₹ 23,873.28 करोड़ के प्रक्षेपण ने 14.10 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध ब.अ. 2011-12 (₹ 20,006.89 करोड़) पर 19.33 प्रतिशत वृद्धि संघटित की। वास्तविक प्राप्तियां 2011-12 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 20,399.45 करोड़) से 15.48 प्रतिशत अधिक थी।
क)	वाहनों पर कर	ब.अ. 750 सं.अ. 770	887.30	वर्ष के दौरान ₹ 887.30 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ब.अ. ₹ 750 करोड़ तथा सं.अ. ₹ 770 करोड़ कम अनुमानित थे।
ख)	भू-राजस्व	ब.अ. 15.28 सं.अ. 16.81	12.98	₹ 12.98 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति ब.अ. से कम थी। वास्तविक प्राप्तियों की पिछली प्रवृत्ति 2010-11 में ₹ 10.02 करोड़ और 2011-12 में ₹ 10.95 करोड़ थी जोकि 2012-13 के ब.अ. प्रक्षेपण के समय ध्यान में नहीं रखी गई थी।
ग)	विद्युत शुल्कों पर कर	ब.अ. 160 सं.अ. 183	191.97	पिछली प्रवृत्ति, जो 2010-11 में ₹ 130.27 और 2011-12 में ₹ 166.43 करोड़ थी, की उपेक्षा करते हुए 2012-13 के संशोधित अनुमान में ₹ 183 करोड़ तक ब.अ. बढ़ा दिया गया था। ₹ 191.97 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति 2012-13 के ब.अ. से ₹ 31.97 करोड़ और सं.अ. से ₹ 8.97 करोड़ अधिक थी।
3	राज्य के स्वयं के कर-भिन्न राजस्व	4,804.54	4,673.15	ब.अ. 2012-13 में ₹ 4,804.54 करोड़ के प्रक्षेपण ने 14.03 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध ब.अ. 2011-12 (₹ 4,287.08 करोड़) पर केवल 12.07 प्रतिशत बढ़ोतरी संघटित की। फिर भी, 2012-13 में ₹ 4,673.15 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां, 2011-12 में वास्तविक संग्रहण (₹ 4,721.65 करोड़) से कम थी।
क)	बृहद् सिंचाई	ब.अ. 187.80 सं.अ. 187.80	130.92	वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 130.92 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ब.अ. ₹ 56.88 करोड़ तक अधिक अनुमानित थे जिसने अवास्तविक अनुमान इंगित किए।
ख)	सड़कें एवं पुल	ब.अ. 20 सं.अ. 15	133.41	ब.अ. में ₹ 20.00 करोड़ के प्रक्षेपण ₹ 15 करोड़ तक कम हो गए। परन्तु ₹ 133.41 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां प्रक्षेपित ब.अ. से काफी अधिक थी जिसने इंगित किया कि अनुमान वास्तविक नहीं थे।
ग)	अन्य सामान्य एवं आर्थिक सेवाएं	ब.अ. 11.50 सं.अ. 11.50	34.79	₹ 34.79 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ब.अ. ₹ 23.29 करोड़ तक कम अनुमानित थे जिसने इंगित किया कि अनुमान वास्तविक नहीं थे।
घ)	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	ब.अ. 109.63 सं.अ. 116.96	78.01	₹ 109.63 करोड़ का ब.अ. ₹ 116.96 करोड़ तक संशोधित किया गया लेकिन ₹ 78.01 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां 33 प्रतिशत तक कम रह गईं। इस प्रकार प्रक्षेपण वास्तविक नहीं था।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान / ब.अ. 2012-13	वास्तविक	टिप्पणियां
4	सहायतानुदान	5,470.25	2,339.25	राज्यों को सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर जारी किए जाते हैं। इसलिए, ब.अ. में प्रावधान वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किए जाने चाहिए। 2012-13 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) की सिफारिशों से ज्यादा किए गए प्रावधान वास्तविक नहीं थे।
5	गैर-योजनागत व्यय	28,769.45	30,186.27	₹ 28,769.45 करोड़ का प्रावधान राजस्व लेखे पर ₹ 28,613.65 करोड़ और पूंजीगत लेखे पर ₹ 155.80 करोड़ से समायुक्त है। पूंजीगत लेखे पर किया गया ₹ 1,570.54 करोड़ का व्यय बजट प्रावधानों से ज्यादा था। इस प्रकार ब.अ. में प्रावधान वास्तविक नहीं थे।

2.5.2 योजनागत अनुमानों में कमियां

2012-13 के दौरान योजनागत व्यय ₹ 14,500 करोड़ अनुमानित किया गया था। ₹ 13,931.48 करोड़ का वास्तविक व्यय (96 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

i 2012-13 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 730.17 करोड़ की अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 88 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी (परिशिष्ट 2.18)।

ii 2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 12 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 70.74 करोड़ का प्रावधान सं.अ. में ₹ 18.99 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी (परिशिष्ट 2.19) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

iii अनुमोदित परिव्यय में चार स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 10.6 करोड़ का प्रावधान सं.अ. में ₹ 14.94 करोड़ तक बढ़ाया गया था किंतु वर्ष 2012-13 के दौरान व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.20)।

iv अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय लागत में 33 स्कीमों के अंतर्गत ₹ 106.61 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2012-13 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.21)।

v 50 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 1,702.11 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,001.79 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,457.26 करोड़ का व्यय किया गया था। पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों की आगे वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था (परिशिष्ट 2.22)।

vi ₹ 76.91 करोड़ के प्रावधान सहित आठ नई प्लान स्कीमें वर्ष 2012-13 के दौरान संशोधित अनुमानों में शामिल की गई थी किंतु स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी (परिशिष्ट 2.23)।

vii वर्ष 2012-13 के दौरान ब.अ./सं.अ. में किसी प्रावधान के बिना तीन स्कीमों के विरुद्ध ₹ 8.29 करोड़ का व्यय किया गया था (परिशिष्ट 2.24)। प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण नहीं दिए गए थे।

viii बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की एक स्कीम सहित चौदह प्लान स्कीमें जिनके निष्पादन के लिए 2012-13 के दौरान ₹ 1,296.65 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 700.67 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन स्कीमों पर केवल ₹ 404.41 करोड़ का व्यय किया गया था जो **परिशिष्ट 2.25** में दिए गए विवरणानुसार अनुमोदित/संशोधित परिव्यय से बहुत कम था।

ix बाईस स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 785.67 करोड़ का प्रावधान ₹ 478.99 करोड़ तक घटाया गया था किंतु इन स्कीमों के अंतर्गत ₹ 553.60 करोड़ का व्यय किया गया था जो **परिशिष्ट 2.26** में दिए गए विवरणानुसार अनुमोदित संशोधित सीमा से अधिक हो गया।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या “20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण” तथा अनुदान संख्या “38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति”) के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2013)। 2012-13 के लिए इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

2.6.1 अनुदान संख्या 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

i वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,747.47 करोड़ (मूल: ₹ 1,727.05 करोड़ तथा पूरक: ₹ 20.42 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,681.37 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 66.10 करोड़ की बचत हुई।

ii बचत मुख्यतः शीर्ष “2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 104-बुजुर्ग, अशक्त तथा निराश्रय का कल्याण 101-विकलांग कल्याण” (₹ 4.55 करोड़) के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) से आवेदन/प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण, “02 समाज कल्याण, 800- अन्य व्यय, 73-अल्प संख्यक केंद्रित जिलों मेवात तथा सिरसा के विकास के लिए स्कीम (₹ 18.54 करोड़) स्कीम के अन्तर्गत परियोजना का अन्तिमकरण न करने के कारण तथा 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 102-“राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम” (₹ 1.52 करोड़) के अंतर्गत लाभग्राहियों के कम नामांकन के कारण, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 66.10 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 66.14 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन सरंजर की गई थी।

iii ₹ 66.10 करोड़ की बचत के विचार से मार्च 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 20.42 करोड़ का पूरक अनुदान अवास्तविक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया।

iv शीर्ष “4235” सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय” के अंतर्गत ₹ 2.83 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम से स्कीम की क्लीयेरेंस न होने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया था।

v लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इस अनुदान के अंतर्गत अठारह स्कीमों (परिशिष्ट 2.27) पर किए गए ₹ 28.31 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 26.05 करोड़ (92 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था जिसमें से ₹ 24.29 करोड़ (86 प्रतिशत) का व्यय अंतिम माह (मार्च 2013) के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषतया मार्च माह के दौरान, व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2.6.2 अनुदान संख्या 38 – जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति

(ए) राजस्व शीर्ष

i. ₹ 1,086.54 करोड़ (मूल: ₹ 1,074.54 करोड़ तथा पूरक: ₹ 12.00 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,099.48 करोड़ का व्यय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत किया गया था परिणामतः ₹ 12.94 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत रेगुलराइज किया जाना अपेक्षित है।

ii. अधिक व्यय के विचार से ₹ 12.00 करोड़ का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। अधिक व्यय शीर्ष “2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम” (₹ 12.19 करोड़) के अंतर्गत ट्यूबवैलों, वाटर वर्क्स बूस्टरो के संस्थापन तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को भुगतान किए गए लंबित ऊर्जा प्रभारों के कारण था।

(बी) पूंजीगत शीर्ष

iii. ₹ 1,156.10 करोड़ के मूल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 831.70 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब.अ. पर ₹ 324.40 करोड़ की बचतें हुईं।

iv. बचतें मुख्यतः शीर्ष “4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय”-94-जलापूर्ति की वृद्धि (₹ 11.48 करोड़) 99-जलापूर्ति की वृद्धि (₹ 18.03 करोड़), 94-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (154.06 करोड़), 99-जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का संस्थागत सुदृढीकरण (0.46 करोड़), एन.ई.डब्ल्यू.डी.पी.-कवरेज सेंट्रल (₹ 13.61 करोड़) के अंतर्गत सामग्री जैसे रेत/ग्रेवल, पाइपों इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण, 98-गांव में एस.सी. परिवारों को मुफ्त निजी जल कनेक्शन (₹ 7.17 करोड़), 99-शहर में एस.सी. परिवारों को मुफ्त निजी जल कनेक्शन (₹ 3.94 करोड़), 96-मरुस्थल विकास कार्यक्रम (₹ 43.48 करोड़) के अंतर्गत वर्ष की समाप्ति से तुरंत पहले अतिरिक्त बजट प्रदान करने के कारण तथा 91-मेवात टी.एफ.सी. (₹ 15.00 करोड़), 95-ते.वि.आ.-शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा (₹ 32.55 करोड़), 98-मेवात ते.वि.आ. (₹ 9.11 करोड़), 97-ते.वि.आ. शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा (₹ 4.28 करोड़), 92-सीवरेज ट्रीटमेंट (₹ 2.34 करोड़) तथा 97-एन.ई.डब्ल्यू.डी.पी.-सस्टेनेबिलिटी (सेंट्रल) (₹ 22.16 करोड़) के अंतर्गत वर्ष के अंत पर संस्वीकृत परियोजना के कारण थी।

v. अनुदान के पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 324.40 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध ₹ 307.29 करोड़ वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को सरंजर किए गए थे, शेष ₹ 17.11 करोड़ सरंजर

न किए गए पड़े रहे। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत भी यद्यपि ₹ 12.94 करोड़ का अधिक व्यय था, विभाग ने वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर ₹ 1,47 करोड़ सरंजर किए। इसने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित किया तथा यह भी कि ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग नहीं की जा सकी।

vi. यह देखा गया था कि इस अनुदान के अंतर्गत 39 स्कीमों पर किए गए ₹ 104.24 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 56.44 करोड़ (54 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था जिसमें से ₹ 44.04 करोड़ (42 प्रतिशत) का व्यय अंतिम माह (मार्च 2013) के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषतया मार्च माह के दौरान, व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई (परिशिष्ट 2.28)।

2.7 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2012-13 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 4 नवम्बर से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, दो विभागाध्यक्षों ने (अनुदान संख्या 20 और अनुदान संख्या 38) वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 34 तथा 87 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 2.29)।

2.8 निष्कर्ष

2012-13 के दौरान, ₹ 66,810.40 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 55,827.99 करोड़ का व्यय किया गया।

₹ 10,982.48 करोड़ की समग्र बचत, चार अनुदानों में ₹ 428.10 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतितुलित विभिन्न अनुदानों तथा विनियोजन में ₹ 11,410.58 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत, वर्ष 2011-12 से संबंधित एक अनुदान में ₹ 263.45 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त रेगुलराइज की जानी अपेक्षित थी।

नौ मामलों में, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हुए वास्तविक बचत से ₹ 132.42 करोड़ के अधिक सरंजर सहित ₹ 1,289.25 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) सरंजर किए गए थे। 16 मामलों में ₹ 8,365.67 करोड़ की बचतों (एक करोड़ तथा अधिक की बचतें) में से ₹ 870.99 करोड़ की बचतें सरंजर नहीं की गईं। 41 मामलों (₹ 10 करोड़ से अधिक में निधियों का सरंजर) में ₹ 10,635.16 करोड़ वित्तीय वर्ष के दो अन्तिम कार्य दिवसों में सरंजर किए गए थे। अविवेकपूर्ण री-एप्रोप्रियेशन के भी मामले थे।

2.9 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- बृहद् बचतों/आधिक्यों से बचने के लिए वास्तविक बजट अनुमान तैयार करना।
- बचतों को, जरूरतमंद विभागों द्वारा उनकी प्रभावी उपयोगिता के लिए, निर्धारित तिथि तक सरंडर करना।
- किए गए अधिक व्यय को रेगुलराइज करना।
- नए लेखाशीर्ष तथा उपशीर्ष खोलने से पहले प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) से पूर्वानुमति प्राप्त करना।
- सारा साल व्यय फैलाव।